

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

रतनदास | वेजदान - चाण्ड

जाबरीनद | वेजदान न्याय रजि

नि. सोजतीली तह सोजत

नि. सोजतीली तह सोजत

किस्म मुकदमा :- राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं:

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ।
10-07-23	<p>वकील प्रार्थीगण उपस्थित।</p> <p>वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.07.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	<p>जरिये Reg. Ad.</p>
17/7/23	<p>बहुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य सजातीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 20/7/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड रजिस्ट्रार, सोजत.</p>	
20/7/23	<p>अधिवक्ता श्री नरपति सोजत अधिवक्ता द्वारा की गये में कबालनाम विसर किया जाये। अधिवक्ता द्वारा ने अधिवक्ता को तलब किया जाकर प्रत्यक्ष विशेष करने का पेश किया जा. विशेष ज.प.प. पेश कर निवेदन किया है कि अधिवक्ता को पक्षक बनाकर पत्र नया वाद लाना चाहता है। प्रत्यक्ष कक्षी इष्ट अधिवक्ता को विशेष बनाकर कले की इमरतों में अतः अधिवक्ता द्वारा का इष्ट अधिवक्ता नये प्रत्यक्ष करि का अधिवक्ता सुरासेर उल्लेख इस की लोके विशेष आदेश करि जाये। पत्रावली पेश कर अतः होकर नया के करे।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)</p>	